①

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
[illegible]-19	पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी महो॰ मीटिंग मे बिजी व्यस्त रहे है अतः सुनाये जाने आदेश पत्रावली 18-4-19 को पेश होवे	
18-4-19	पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष उपस्थित प्रा॰पत्र 212 आर.टी.ए. पर पूर्व में बहस सुनी गई आदेश सुनाया गया प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है जिसका विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया, पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न मूलवाद रहे। उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी जिला बून्दी

प्रार्थना पत्र संख्या 44/2012 — पीठासीन अधिकारी
दायरा दिनांक 9-7-12 — गोरधनलाल मीना (R.A.S)

<u>प्रहलाद</u>

1. प्रहलाद आत्मज बैजनाथ जाति मीणा निवासी कोटाखुर्द तहसील इन्द्रगढ़
2. केसरा आत्मज बैजनाथ जाति मीणा निवासी कोटाखुर्द तहसील इन्द्रगढ़
3. केदार आत्मज बैजनाथ जाति मीणा निवासी कोटाखुर्द तहसील इन्द्रगढ़
4. सूरजमल आत्मज बैजनाथ जाति मीणा निवासी कोटाखुर्द तहसील इन्द्रगढ़ जिला-बून्दी राजस्थान.

---प्रार्थीगण....

÷ बनाम ÷

1. रामचरण आत्मज मांगीलाल जाति मीणा निवासी कोटाखुर्द तहसील इन्द्रगढ़
2. सीता पुत्री मांगीलाल पत्नी गिरधीलाल जाति मीणा निवासी गोठरा
3. शान्ति पुत्री मांगीलाल पत्नी बनवारीलाल जाति मीणा निवासी खेडलीरहसन तहसील दीगोद जिला कोटा
4. कान्ती उर्फ भरोसी पुत्री मांगीलाल पत्नी रामविलास जाति मीणा निवासी पापड़ी तहसील इन्द्रगढ़
5. भट्टूर पुत्र सुन्दरा जाति मीणा निवासी कोटाखुर्द तहसील इन्द्रगढ़
6. भागला पुत्र सुन्दरा जाति मीणा निवासी कोटाखुर्द तहसील इन्द्रगढ़
7. प्रभु पुत्र सुन्दरा जाति मीणा निवासी कोटाखुर्द तहसील इन्द्रगढ़
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार इन्द्रगढ़ जिला बून्दी

---अप्रार्थीगण....

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

<u>बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा</u>

<u>निर्णय</u> — दिनांक 18-4-2019

प्रार्थीगण ने प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

मे प्रस्तुत कर कथन किया कि खाता स. 142 ख.न. 75 रकबा 0.77 है ख.न. 76 रकबा 0.73 है. ख.न. 77 रकबा 1.54 हैक्टर ख.न. 78 रकबा 0.77 है ख.न. 79 रकबा 0.15 है. ख.न. 80 रकबा 0.22 है. ख.न. 81 रकबा 0.50 है. ख.न. 82 रकबा 0.50 ख.न. 83 रकबा 0.27 है. ख.न. 85 रकबा 0.05 है ख.न. 88 रकबा 0.72 है. ख.न. 94 रकबा 0.92 है. ख.न. 95 रकबा 0.92 है, ख.न. 98 रकबा 0.92 है. ख.न. 258 रकबा 0.96 है. ख.न. 596 रकबा रकबा 0.49 है. ख.न. 597 रकबा 0.36 है. ख.न. 77/1356 रकबा 0.42 है कुल किता-18 कुल रकबा 11.21 हैक्टर एवं खाता स. 163 के ख.न. 109 रकबा 1.07 है ख.न. 110 रकबा 1.06 है. ख.न. 250 रकबा 1.94 हैक्टर ख.न. 251 रकबा 1.95 है. कुल किता 4 योग रकबा 6.02 हैक्टर व खाता संख्या 164 ख.न. 84 रकबा 0.10 है. ख.न. 96 रकबा 0.14 है. ख.न. 97 रकबा 0.15 है. ख.न. 208 रकबा 1.12 है. ख.न. 209 रकबा 1.12 है. ख.न. 210 रकबा 0.90 हैक्टर ख.न. 211 रकबा 0.64 है. ख.न. 219 रकबा 1.53 हैक्ट. ख.न. 969 रकबा 0.02 हैक्टर ख.न. 970 रकबा 0.01 हैक्टर ख.न. 1042 रकबा 0.01 हैक्टर कुल किता 11 योग रकबा 5.74 हैक्टर वाके ग्राम कोथखुर्द तहसील इन्द्रगढ़ जिला बूंदी राजस्थान में स्थित है।

उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के पूर्व ख.न. 77, 166, 755 667, 378, 167, 78, 85 97, 76, 379, 140, कुल खसरा किता 12 कुल रकबा 149 बीघा 10 बिस्वा थे। वर्णित कृषि भूमि में से ख.न. 76/1 रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा ख.न 77/1 मिन की 6 बिस्वा ख.न. 85/1 रकबा की 19 बिस्वा ख.न. 140/1 की 12 बीघा 13 बिस्वा ख.न. 167/1 रकबा 7 बीघा 6 बिस्वा ख.न. 166/1 की 10 बीघा ख.न 667/1 की 2 बिस्वा कुल किता 7 कुल रकबा 38 बीघा 5 बिस्वा कृषि भूमि प्रार्थीगण के. शेष कृषि भूमि ख.न. 76/2 की 6 बीघा 18 बिस्वा ख.न. 77/2 मिन की 6 बिस्वा ख.न. 85/2 की 1 बीघा ख.न. 140/2 की 12 बीघा 13 बिस्वा ख.न. 167/2 की 7 बीघा 6 बिस्वा ख.न. 166/2 की 9 बीघा 19 बिस्वा ख.न. 667/2 की 2 बिस्वा ख.न. 755 की 1 बिस्वा कुल किता 8 कुल रकबा 38 बीघा 5 बिस्वा अप्रार्थीगण के नाम दर्ज किये जाने की डिक्री दिनांक 27-8-1987 द्वारा सहायक कलेक्टर के-पाटन के द्वारा पारित की गई थी जो आज तक प्रभावित है।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

क्रमशः

प्रार्थना-पत्र में वर्णित कृषि भूमि वर्तमान में अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित चली आ रही है मौके पर प्रार्थीगण तथा अप्रार्थीगण ~~बार~~ बराबर-बराबर हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। अप्रार्थीगण का राजस्व रिकार्ड में नाम अंकित होने का लाभ लेकर विवादित कृषि भूमि को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है, और अन्त में प्रार्थना की कि अप्रार्थीगण 1 लगायत 7 को उन्हें स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो अप्रार्थीगण विवादित आराजी को खुर्द-बुर्द कर देंगे जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किया जाना सम्भव नहीं होगा।

अप्रार्थीगण की ओर से अप्रार्थी सं. 1 ने प्रार्थना-पत्र का जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि 12 वर्ष बाद डिक्री का कोई कानूनन महत्व नहीं होता है अतः प्रार्थीगण का ~~का~~ प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.ए. पर बहस उभयपक्ष की सुनी गई बहस में प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित कृषि भूमि पुराने खसरा नम्बर जिसके वर्तमान ख. नं. 109 रकबा 1.07 है. ख.नं.110 रकबा 1.06 है. ख.नं. 250 रकबा 1.94 है. खसरा नं 251 रकबा 1.95 है. ख.नं. 84 रकबा 0.10 है. ख.नं. 96 रकबा 0.14 हैक्टर ख.नं. 97 रकबा 0.15 है. ख.नं. 210 रकबा 0.90 हैक्टर ख.नं. 211 रकबा 0.64 है. ख.नं. 219 रकबा 1.53 हैक्टर ख.नं. 208 रकबा 1.12 हैक्टर ख.नं. 209 रकबा 1.12 हैक्टर ख.नं. 969 रकबा 0.02 है. ख.नं. 970 रकबा 0.01 हैक्टर ख.नं. 1042 रकबा 0.01 है. वाके ग्राम कोटा खुर्द तहसील इन्द्रगढ़ में स्थित हो जिसमें आधा हिस्सा प्रार्थीगण का एवं आधा हिस्सा अप्रार्थीगण का है जिसके सबूत के तौर पर जमाबन्दी सम्वत 2047 से 2050 एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय व डिक्री 28-1-1987 पत्रावली पर उपलब्ध है। किन्तु सेटलमेन्ट के

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

पश्चात बिना किसी आधार के विवादित आराजी वापिस प्रतिवादीगण के खाते में अंकित कर दिया गया जो गलत है. सेटलमेन्ट को खाता रद्दोबदल करने नाम हटाने का अधिकार प्राप्त नहीं है. प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण बाहमी बटवारा मुताबिक काबिज होकर अपने-अपने हिस्से पर काश्त करते चले आ रहे है. कि सम्पूर्ण खाता अप्रार्थीगण के नाम सेटलमेन्ट की गलती से अंकित हो जाने से इसका फायदा उठाकर प्रार्थीगण को कब्जे काश्त से बेदखल करने विवादित आराजी को रहन बय खुर्द बुर्द करने पर आमादा है इस कारण से अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाना आवश्यक है. और निवेदन किया कि उक्त कृषि भूमि में से नेशनल हाइवे रोड के लिए भूमि अवाप्त की जानी है जिसके मुआवजे को अप्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड में नाम अंकित होने का फायदा उठाकर मुआवजा राशी को उठा सकते है ~~और इस~~ अतः अप्रार्थीगण को भी अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है प्रार्थीगण की ओर से पूर्व न्यायिक दृष्टान्त RRD 2002 पेज 744, AIR 1982 पेज नं. 183, RRD 1994 पेज नं. 104, RBJ (17) 2010 पेज नं. 178 से 181 RRT 2016 (2) पेज नं. 1354 RRD 1995 पेज 764 पेश की ओर अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया केश है एवं सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है अगर अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी तरह सम्भव नहीं हो पायेगी।

अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस का विरोध करते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण का कोई केश नहीं है अप्रार्थीगण खातेदार टीनेन्ट है एवं कब्जा काश्त है. खातेदार टीनेन्ट के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा पारित नहीं की जा सकती है एवं समर्थन में पूर्व

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

न्यायिक दृष्टान्त RRD 2013 पेज 535, RRD 2011 पेज 563 DNJ 2013 पेज 18 पेश किये।

हमारे द्वारा उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एव पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत 2047 से 2050 वाके ग्राम कोयरखुर्द तहसील इन्द्रगढ़ से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण एव अप्रार्थीगण 38 बीघा 5 बिस्वा, 38 बीघा 5 बिस्वा खातेदार रीकेर्ड है तथा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय डिग्री दिनांक 28-1-87 से राजस्व रिकार्ड में पृथक पृथक दर्ज हो चुके थे। सेटलमेन्ट द्वारा बिना किसी आधिकार केइन्द्राज बदल कर विवादित कृषि भूमि को अप्रार्थीगण के खाते अंकित कर दी गई जो गलत है इस प्रकार प्रथम दृष्टया केश प्रार्थीगण के पक्ष में होना पाया जाता है। प्रार्थीगण के पक्ष में यदि अस्थायी निषेधाज्ञा पारित नही की जाती है तो राजस्व रिकार्ड का दुरूपयोग होने की सम्भावना प्रतीत होती है इस प्रकार अपूर्णनीय क्षति प्रार्थीगण को होने की सम्भावना से इन्कार नही किया जा सकता है सुविधा व सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में बनता है। ऐसी स्थिति मे पक्षकारो की रक्षा एव भूमि की स्थिति यथावत रखे जाने का प्रश्न है न्यायोचित प्रतीत होता है मुख्य विवादी प्रश्न मूल दावे में पक्षकारान की साक्ष्य अंकित करने के पश्चात तय किया जा सकेगा।

अत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्व अप्रार्थीगण 1 लगायत 7 स्वीकार किया जाकर पाबन्द किया जाता है कि अप्रार्थीगण कृषि भूमि ख.न. 109 रकबा 1.07 हैक्टर ख.न. 110 रकबा 1.06 हैक्टर ख.न. 250 रकबा 1.94 है. ख.न. 251 रकबा 1.95 है. ख.न. 84 रकबा 0.10 है. ख.न. 96 रकबा 0.14 है. ख.न. 97 रकबा 0.15 है. ख.न. 210 रकबा 0.90 हैक्टर ख.न. 211 रकबा 0.64 है. ख.न. 219 रकबा 1.53 हैक्टर ख.न. 208 रकबा 1.12 हैक्टर ख.न. 209 रकबा 1.12 है. ख.न. 910 रकबा 0.02 हैक्टर ख.न. 1042 रकबा 0.01 हैक्टर वाके ग्राम कोयरखुर्द

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में स्थित कृषि भूमि में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे। रहन बय खुर्द-बुर्द नही करे न ही किसी प्रकार का मुआवजा उठावे ऐसा न तो स्वयं करे न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावे। एवं राजस्व रिकार्ड तथा मौके की यथास्थिति ता फैसला मूलवाद बनाई रखी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर सलंग्न मूलवाद रहे।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)